कार्यालय–छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर

सोनाखान भवन, रिंग रोड नं0–1, पुरैना, रायपुर (छत्तीसगढ़)

–: विज्ञापन :–

क्रमांक–384 / स्था. / सीएमडीसी / सीधी भर्ती / 2018 रायपुर, दिनांक : 29.5.2018

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4 / 2015 / आ. प्र. / 1–3 दिनांक 24.02.2015 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.08.2015 के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजनों के सीधी भरती हेतु राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में **सहायक ग्रेड–III के 01 पद वेतन बैंड 5200–20200+गेड पे 1900 एवं भृत्य के 03 पद वेतन बैंड 4750–7440+ ग्रेड पे 1300** हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन–पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यप्रतिलिपि के साथ **छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोनाखान भवन, रिंग रोड नंबर–1, ग्राम–पुरैना, पो.आ.–रविग्राम रायपुर (छत्तीसगढ़) 492006** में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डॉक / स्पीड–पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30.06.2018 को सायं 5.00 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम	पद संख्या	निःशक्तता का प्रकार	शैक्षणिक अर्हता
1	सहायक ग्रेड–III (निम्न श्रेणी लिपिक) 5200–20200+ गेड पे 1900 (6वें वेतनमान)	1	अस्थि बाधित OL, BL	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घन्टा की गति (गति के संबंध मे कौशल परीक्षा ली जाएगी)
2	भृत्य 4750–7440+ ग्रेड पे 1300 (6वें वेतनमान)	3	अस्थि बाधित OA, OL दृष्टि बाधित B, LV श्रवण बाधित HH	मान्यता प्राप्त संस्था (पंजीकृत / शासकीय संस्था) से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

नोट :– शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, नियम शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप सी.एम.डी.सी. की वेबसाईट www.cmdc.co.in में देखी जा सकती है।

प्रबंध संचालक

सी.एम.डी.सी.–रायपुर.

D-Drave/Estt/Setup/Rikta padhon per bharti/Appointment for Add/

Scanned by CamScanner

नियम व शर्ते :-

(1) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किये जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (कमांक 591/2012 रिट पिटीशन (सी) कमांक 592/2012 रिट पिटीशन (सी) कमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) कमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

(2) **निर्धारित आयु सीमा** :-

(क) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु (छत्तीसगढ़ के निवासी हेतु) दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेंगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी हैं, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में भी जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों, या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अधीन छूट दी जाएगी अर्थात :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ का स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक हैं, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित हैं, जो अस्थायी रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(तीन) जो अभ्यर्थी छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा, बसर्ते इसके परिणम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हों।

स्पष्टीकरण :- शब्द "छटनी किये गए शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप, जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।

Scanned by CamScanner

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था।

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक,

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये हों।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नहीं बन सकेंगे।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रूप से अलग किया गया हो।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट होगी। किन्तु ऐसी छूट 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

Scanned by CamScanner

(3) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(4) रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन विज्ञापन जारी होने के पूर्व होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। संविदा पर कार्यरत् कर्मचारी को भी यह शर्त लागू होगी।

(5) कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी उम्मीद्वार जिसके दो से अधिक जीवित संतान हैं, उनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) आवेदन पत्र पर न्यूनतम पासपोर्ट साईज का फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर लगाना होगा।

(8) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वार को जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(9) उम्मीद्वारों को अपनी आयु के संबंध में अंक सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(10) अन्य शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

(11) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जावेंगे।

(12) वांछित न्यूनतम अर्हता में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाकर 1 पद के विरूद्ध अधिकतम 12 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा।

पात्र उम्मीद्वारों को कौशल परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान की जानकारी बाद में सूचित की जाएगी।

(13) शैक्षणिक योग्यता के मेरिट एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर चयन किया जावेगा।

(14) चयन प्रकिया का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

(15) विज्ञापित पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योगयता, नियम, सेवा शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 रायपुर की वेबसाईट www.cmdc.co.in पर भी देखी जा सकती है।

(16) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 के मुख्य कार्यालय रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर, उप कार्यालय दन्तेवाड़ा, दलदली बाक्साईट माइन्स कबीरधाम, लौह अयस्क परियोजना भानुप्रतापपुर में पदस्थ/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। प्रथम पदस्थापना स्थल पर निरंतर पांच वर्ष सेवायें अनिवार्य रूप से करनी होगी।

(17) विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का अंतिम निर्णय नियोक्ता को होगा।

(18) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रकिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

प्रबंध संचालक
सी.एम.डी.सी.–रायपुर.

Scanned by CamScanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0
सोनाखान भवन, रिंग रोड नं0–1, पुरैना, रायपुर (छ.ग.)

आवेदित पद का नाम :– ....

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
   (अंग्रेजी के केपिटल अक्षर में) : ....

2. पिता / पति का नाम : ....

3. पत्र व्यवहार का पता : ....
   ....
   ....

4. स्थायी पता : ....
   ....
   ....

5. दूरभाष / मोबाईल नंबर : ....

6. जन्म तिथि (अंकसूची अनुसार) : ....वर्ष..........माह..........दिन

7. आयु (दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में) : ....वर्ष..........माह..........दिन

8. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ? : हॉं / नहीं
   (उत्तर हॉं होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।)

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक .... दिनांक ....

10. क्या आप विवाहित हैं ? : ....
    यदि हॉं तो विवाह की तिथि : ....

11. जीवित बच्चों की संख्या : ....

12. जाति का विवरण : जहॉं लागू हो कृपया (✓) चिन्ह लगायें।

अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग

13. निःशक्तता का प्रकार : ....

Scanned by CamScanner

14. शैक्षणिक योगयता :–

क.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	श्रेणी

15. कार्यानुभव का विवरण :–

क.	पद	संस्थान	अवधि	अनुभव का विवरण

16. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित :–

1. .... 2 ....
3. .... 4 ....
5. .... 6 ....
7. .... 8 ....

आवेदक के हस्ताक्षर

–:: **घोषणा पत्र** ::–

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हॅं, कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तो को ध्यान से पढ़ लिया है। जहॉं तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्ठियॉं सत्य, पूरी और सही है। मुझे मालूम है, कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पाई जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और परीक्षा में उत्तीर्ण एवं चयन के उपरान्त भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा।

मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

स्थान : ....

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner